उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-4
संख्या-14/2020/822 /तीस-4-2020
लखनऊः दिनांकः 20 अक्टूबर, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा अपने पत्र संख्या-659 प्रावि0/2020-271 प्रावि0/2019, दिनांक 10.08.2020 के माध्यम से ''उत्तर प्रदेश ऑनलाइन मोटरयान प्रदूषण जांच केन्द्र योजना-2020'' की प्रति शासन को उपलब्ध कराते हुए अवगत कराया गया है कि प्रदूषण जाँच केन्द्र की स्थापना एवं प्रक्रिया के निर्धारण हेतु परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति गठित की गयी जिसके द्वारा प्रचलित व्यवस्थाओं का सम्यक अध्ययन करके ''उत्तर प्रदेश ऑनलाइन मोटरयान प्रदूषण जांच केन्द्र योजना-2020'' का प्रस्ताव तैयार किया गया है। उक्त प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति प्रदान करते हुए परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा शासन से इस योजना के सम्बन्ध में शासनादेश/कार्यालय ज्ञाप निर्गत कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के उक्त अनुरोध के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त वाहन जनित प्रदूषण को नियन्त्रित करने एवं प्रदूषण जाँच केन्द्रों को प्राधिकृत करने व उनके कार्य संचालन की प्रक्रिया निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ पूर्व में जारी शासनादेश संख्या-3997टी/30-4-168/91, दिनांक 06.04.1994 तथा शासनादेश संख्या-2575/30-4-94-168/91, दिनांक 03.09.1994 को अवक्रमित करते हुए प्रदूषण नियन्त्रण हेतु ''उत्तर प्रदेश ऑनलाइन मोटरयान प्रदूषण जांच केन्द्र योजना-2020'' को एतद्द्वारा निम्नवत् प्रख्यापित किया जाता है:-

''उत्तर प्रदेश ऑनलाइन मोटरयान प्रदूषण जॉच केन्द्र योजना-2020''

1- यह योजना ''उत्तर प्रदेश ऑनलाइन मोटरयान प्रदूषण जांच केन्द्र योजना-2020'' कही जायेगी।

2- परिभाषाएं:-

इस योजना में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(i) ''अधिनियम'' से तात्पर्य मोटरयान अधिनियम, 1988 (सन् 1988 का अधिनियम संख्या-59) से है।

(ii) ''नियम'' से तात्पर्य केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 से है।

(iii) ''विभाग'' से तात्पर्य परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश से है।

(vi) ''योजना'' से तात्पर्य उत्तर प्रदेश ऑनलाइन मोटरयान प्रदूषण जॉच केन्द्र योजना-2020 से है।

(v) ''प्रारूप'' से तात्पर्य इस योजना के साथ संलग्न प्रारूप से है।

(iv) ''प्रदूषण जॉच केन्द्र' से तात्पर्य इस योजना के अधीन परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा प्राधिकृत प्रदूषण जॉच केन्द्र से है, जिसमें मोबाइल प्रदूषण जॉच केन्द्र भी सम्मिलित है।

(vii) ''प्रमाण पत्र'' से तात्पर्य प्रदूषण जांच केन्द्र द्वारा मोटरयान स्वामी को नियम-115 के उपनियम (7) के अन्तर्गत जारी प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र से है।

(viii) ''प्राधिकार पत्र'' से तात्पर्य प्रदूषण जांच केन्द्र को मोटरयानों के प्रदूषण स्तर की जांच के सम्बन्ध में प्राधिकृत करने के लिए निर्गत किये गये प्राधिकार पत्र से है।

(ix) ''प्राधिकृत अधिकारी'' से तात्पर्य परिवहन आयुक्त द्वारा अधिकृत अपर परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश या उप परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश से है।

3- प्रदूषण जांच केन्द्र हेतु पात्रताएं:-

(i) प्रदूषण जांच केन्द्रों के रूप में निम्नांकित श्रेणी की कोई भी एजेन्सी वर्णित शर्तों की पूर्ति के उपरान्त अधिकृत होगी-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

(क) कोई व्यक्ति।

(ख) एन0जी0ओ0/ट्रस्ट/सभी प्रकार के फर्म/कम्पनी (प्राईवेट लिमिटेड/पब्लिक लिमिटेड/ पार्टनरशिप/प्रोपराइटरशिप)

(ग) प्रदूषण जॉच उपकरण फिटेड मोटरयान के स्वामी।

(घ) उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के वर्कशॉप।

(ड.) परिवहन विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त गैराज।

(ii) अधिकृत एजेन्सी द्वारा पूर्ण की जाने वाली शर्तें-

(अ) योजना के प्रस्तर-4(i) में (क) से (ड.) तक वर्णित एजेन्सियों द्वारा संचालित प्रदूषण जांच केन्द्रों को चलाने के लिये उसके कर्मचारी के पास न्यूनतम ''मैट्रिक/दसवीं पास' का प्रमाण पत्र या समतुल्य अर्हता एवं कम्प्यूटर चलाने का सामान्य ज्ञान होने की दशा में ही उक्त एजेन्सियों को अधिकृत किया जा सकेगा।

(ब) आवेदक एजेन्सी को केन्द्रीय मोटरयान नियमों के अधीन अपेक्षाओं के अनुपालन में मोटरयान से उत्सर्जित होने वाले धुएं और गैस की जांच के लिये स्मोक मीटर मय RPM Tachometer तथा गैस एनॉलाइजर मय Oxygen Sensor ,0 RPM Tachometer का उपलब्ध होना।

(स) प्रदूषण जांच केन्द्रों पर ऑनलाइन प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु आवेदक एजेन्सी पर वेब कैम सहित प्रिन्टर युक्त कम्प्यूटर एवं ऑनलाइन प्रमाण पत्र जारी किये जाने के लिये पर्याप्त इन्टरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा।

4- प्राधिकार पत्र प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया:-

(1) इस योजना के अधीन प्रदूषण जांच केन्द्र अथवा सचल मोबाइल केन्द्र के रूप में अधिकृत करने हेतु आवेदक द्वारा परिवहन विभाग के पोर्टल पर आवेदन पत्र अपलोड किया जायेगा। आवेदन पत्र में पेट्रोल चलित अथवा डीजल चलित या दोनो प्रकार के वाहनों की जांच के लिये वांछित केन्द्र का उल्लेख किया जायेगा। आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित दस्तावेज भी अपलोड किये जायेंगे-

(क) एन0जी0ओ0/ट्रस्ट/सभी प्रकार के फर्म/कम्पनी (प्राईवेट लिमिटेड/पब्लिक लिमिटेड/पार्टनरशिप/ प्रोपराइटरशिप) के प्रमाण- पत्र की प्रति।

अथवा

परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त गैराज के प्राधिकार पत्र की प्रति।

अथवा

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के वर्कशाप की स्थिति में सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र की प्रति।

अथवा

सचल प्रदूषण जांच केन्द्र की स्थिति में आवेदक के नाम पंजीकृत एवं प्रदूषण जांच मशीन से सुसज्जित व्यावसायिक वाहन के पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति।

(ख) गैस एनॉलाइजर या स्मोक मीटर, जो केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 115 की अपेक्षाओं के अनुरूप हों, के क्रय के दस्तावेजों की प्रतियॉ।

(ग) प्रदूषण जॉच केन्द्र के स्वामी का पहचान पत्र(वोटर/आधार कार्ड)

(घ) प्रदूषण जॉच केन्द्र पर कार्यरत ऑपरेटर का पहचान पत्र(वोटर/आधार कार्ड)।

(ड़) कार्यरत ऑपरेटर की शैक्षिक योग्यता की प्रति।

(च) प्रदूषण जॉच मशीन का कैलीब्रेशन प्रमाण-पत्र की प्रति।

(छ) प्रदूषण जॉच कार्यस्थल का स्वामित्व/किरायेनामे के प्रमाण की प्रति।

(ज) प्रदूषण जॉच मशीनों के टाइप एप्रूवल/कनफर्मिटी ऑफ प्रोडक्ट के प्रमाण की प्रति।

(झ) प्रदूषण जॉच केन्द्र के नवीनीकरण की स्थिति मे, पूर्व में निर्गत प्राधिकार पत्र की प्रति।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(ञ) परिवहन आयुक्त प्रदूषण जाँच केन्द्र हेतु कोई अन्य अभिलेख भी आवश्यकतानुसार अपलोड कराने का निर्णय ले सकते हैं।

(2) आवेदन ऑनलाइन निम्नवत् किया जायेगाः-

(i) आवेदनकर्ता पोर्टल में Online Services पर आवेदन करेगा।

(ii) जनपद के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) को आवंटित Office Admin की आई0डी0 व पासवर्ड से पीयूसी पोर्टल को भी लॉग-इन किया जायेगा। जनपद में कार्यरत संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) को प्रतिदिन पीयूसी पोर्टल पर लॉग-इन कर Site Verification में दृष्टव्य आवेदन पत्र एवं वांछित प्रपत्र अपलोड होने की तिथि से अधिकतम एक सप्ताह की अवधि में स्थल निरीक्षण करना होगा। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), देय शुल्क की प्रति आवेदक से प्राप्त कर उसे अभिलेखार्थ रखेंगे।

(iii) प्रदूषण जाँच केन्द्र के भौतिक निरीक्षण एवं प्रपत्रों के सत्यापन से संतुष्ट होने पर निरीक्षण आख्या प्रारूप-4 में पोर्टल पर अपलोड करते हुए आवेदन की संस्तुति की जायेगी। देय शुल्क (प्रति मशीन रू0-5,000/-) की स्कैन कॉपी भी अपलोड करेंगे।

(iv) निरीक्षण/सत्यापन से असंतुष्टि पर कारण उल्लिखित करते हुए पोर्टल में आवेदन को अस्वीकार (Reject) किया जायेगा।

(v) संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) के स्तर से संस्तुति के उपरान्त आवेदन परिवहन आयुक्त कार्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में कार्यरत सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्राविधिक) द्वारा संस्तुति की जायेगी। पीयूसी जाँच केन्द्र के आवेदन, निरीक्षण आख्या एवं संलग्न प्रपत्रों से सहमति की दशा में संस्तुति की जायेगी अन्यथा असहमति के कारण का उल्लेख करते हुए Reject किया जायेगा।

(vi) सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्राविधिक) के स्तर से सत्यापित आवेदनों पर परिवहन आयुक्त द्वारा नामित अपर परिवहन आयुक्त/उप परिवहन आयुक्त, द्वारा परीक्षणोपरान्त Final Approval किया जायेगा। Final Approval के उपरान्त पीयूसी पोर्टल से संबंधित आवेदनकर्ता अपना प्राधिकार पत्र डाउनलोड कर सकेगा एवं वाहनों से उत्सर्जित धूम्र की जाँच का कार्य प्रारम्भ कर सकेगा।

(vii) प्राधिकार पत्र प्रारूप-2 में जारी किया जायेगा।

(viii) प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की फीस रु0-5000/- प्रति केन्द्र अर्थात डीजल चलित एवं पेट्रोल चलित वाहनों के लिये पृथक्-पृथक् प्रभारित की जायेगी। यदि एक ही आवेदक द्वारा डीजल चलित एवं पेट्रोल चलित वाहनों की प्रदूषण जांच के लिये आवेदन किया जाता है तो डीजल चलित व पेट्रोल चलित वाहनों की जांच के लिये पृथक्-पृथक् प्राधिकार पत्र जारी किये जायेंगे। पेट्रोल चलित वाहनों की प्रदूषण जांच करने वाले केन्द्र सी0एन0जी0 व एल0पी0जी0 चलित वाहनों की प्रदूषण जांच भी कर सकेंगे।

(ix) प्राधिकृत अधिकारी आवेदक के आवेदन को स्वीकार/अस्वीकार कर सकता है, परन्तु आवेदन अस्वीकार किये जाने की स्थिति में वह आवेदक को आवेदन अस्वीकार किये जाने की सूचना कारणों सहित अभिलिखित करते हुए देगा।

5- प्राधिकार पत्र की समयावधि एवं नवीनीकरण:-

(i) प्रदूषण जांच केन्द्र के लिये जारी किया गया प्राधिकार पत्र 03 वर्ष के लिये विधिमान्य होगा और उसे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा 03 वर्ष की कालावधि के लिये नवीनीकरण किया जा सकेगा।

(ii) प्राधिकार पत्र के नवीनीकरण हेतु रु0-5000/- फीस देय होगी। नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र निर्धारित फीस के साथ प्राधिकार पत्र की अवधि समाप्त होने के 45 दिन पूर्व प्रस्तुत किया जायेगा। समयावधि के समाप्त होने के पश्चात प्राधिकार पत्र स्वतः समाप्त माना जायेगा।

(iii) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किसी प्रदूषण जांच केन्द्र को प्राधिकार पत्र के नवीनीकरण से इन्कार किया

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जा सकता है किन्तु प्राधिकृत अधिकारी नवीनीकरण इंकार करने के कारण का उल्लेख अपने निर्णय में उल्लिखित करेगा।

(iv) प्राधिकृत प्रदूषण जॉच केन्द्र का स्वामी अपना प्राधिकार-पत्र किसी भी समय प्राधिकृत अधिकारी को समर्पण हेतु प्रस्तुत कर सकेगा और ऐसे समर्पित प्राधिकार पत्र समर्पण की तिथि से निरस्त माना जायेगा, परन्तु प्रदूषण जॉच केन्द्र स्वामी द्वारा जमा करायी गयी राशि वापस नहीं की जायेगी।

6- प्रदूषण नियंत्रण जांच प्रमाण पत्र-

(i) प्रत्येक वाहन को केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम-115 के उपनियम (2) में निर्धारित उत्सर्जन मानक के अनुसार जांच कर नियम-115 के उपनियम (7) में किये गये प्राविधान के अन्तर्गत निर्धारित कालावधि के लिये जारी किया जायेगा।

टिप्पणी:-स्पष्टीकरणः वर्तमान में नये वाहनों की दशा में पंजीयन की तिथि से 01 वर्ष तक ऐसा प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं होगी। बीoएस0- i, ii व iii मानक वाले वाहनों के प्रमाण पत्र 06 माह के लिये वैध होगा, परन्तु बी0एस0- iv एवं vi मानक के वाहनों के लिये यह 01 वर्ष के लिये वैध होता है।

(ii) प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र केवल ऑनलाइन निर्गत किये जायेंगे। इसके लिये निम्नवत् शुल्क देय होगाः-

वाहन की श्रेणी	निर्धारित शुल्क
पेट्रोल चलित दोपहिया वाहन	50 रुपये
तिपहिया वाहन (पेट्रोल/एल0पी0जी0/सी0एन0जी0)	70 रुपये
चार-पहिया वाहन (पेट्रोल/एल0पी0जी0/सी0एन0जी0)	70 रुपये
डीजल वाहन	100 रुपये

उक्त शुल्क में प्रतिवर्ष जनवरी माह में 5 प्रतिशत वृद्धि अनुमन्य होगी, जो न्यूनतम रूपये 5/- में पूर्णांकित होगी। इस सम्बन्ध में निर्णय लेने का अधिकार परिवहन आयुक्त को होगा

(iii) यदि जांच में प्रदूषण उत्सर्जन स्तर नियमावली के नियम-115(1) में निर्धारित मानक सीमा से अधिक आता हो, तो ऐसे वाहन की जांच की निर्धारित फीस ही वसूल की जायेगी तथा वाहन स्वामी को रिजेक्शन प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।

7- प्राधिकार पत्र का निलम्बन/निरस्तीकरण एवं शास्तिः-

(i) यदि प्राधिकृत अधिकारी को यह समाधान हो जाता है कि इस योजना के अधीन प्राधिकृत कोई प्रदूषण जांच केन्द्र द्वारा अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों तथा प्राधिकार पत्र की शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया है तो प्राधिकृत अधिकारी ऐसी जांच, जैसा कि वह उचित समझे, करने के पश्चात्, लिखित-आदेश द्वारा प्राधिकार पत्र को निलम्बित/निरस्त कर सकेगा या नीचे दी गयी सारिणी में उल्लिखित शास्ति को आपसी सहमति से वसूल कर सकेगा।

(ii) जहां उपखण्ड (i) के अधीन किसी प्राधिकार पत्र का निलम्बन/निरस्त किया जाना अपेक्षित हो और प्राधिकृत अधिकारी की राय हो कि मामले की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए प्राधिकार पत्र को इस प्रकार निरस्त/निलम्बित किया जाना अनिवार्य या आवश्यक नहीं होगा यदि प्राधिकार पत्र धारक निम्न तालिका में उल्लिखित धनराशि का भुगतान करने के लिए सहमत हो तो उपखण्ड (i) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्राधिकृत अधिकारी प्राधिकार पत्र को यथा-स्थिति निलम्बित/निरस्त करने के बजाय निम्न सारिणी में उल्लिखित धनराशि को प्राधिकार धारक से वसूल कर सकेगा।

क्र0 सं0	अनियमितताओं का विवरण	न्यूनतम शास्ति (रु0 में) प्रथम अवसर पर	अधिकतम शास्ति (रु0 में) पश्चात्वर्ती अनियमितताओं पर
1	2	3	4

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1	प्राधिकार पत्र में दिये गये कार्यस्थल में प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति के बिना परिवर्तन करना।	2500/-	5000/-
2	प्रदूषण जांच केन्द्र पर वाहनों की प्रदूषण जांच हेतु अधिकृत व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति से जांच कार्य कराना।	2500/-	5000/-
3	प्रदूषण जांच यंत्र का समुचित रख-रखाव नहीं करना एवं खराब प्रदूषण जांच यंत्र से जांच कार्य करना।	5000/-	10000/-
4	नवीनीकरण आवेदन पत्र यथासमय प्रस्तुत न करने पर।	2000/-	-

(iii) उपरोक्त सारिणी में वर्णित शास्ति प्रत्येक अनियमितता के लिए पृथक-पृथक होगी, लेकिन एक निरीक्षण के समय पायी गयी सभी प्रकार की अनियमितताओं के लिए शास्ति की कुल राशि रु0-15,000/- से अधिक नहीं होगी।

8- प्रदूषण जांच केन्द्रों का निरीक्षण-

(i) प्राधिकृत अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक प्रदूषण जांच केन्द्र का वर्ष में कम से कम एक बार आवश्यक रूप से निरीक्षण किया जाय। निरीक्षण कार्य परिवहन विभाग के किसी भी अधिकारी, जो संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) या उससे वरिष्ठ, द्वारा किया जा सकेगा और ऐसे प्रत्येक निरीक्षण की 'निरीक्षण आख्या' निरीक्षणकर्ता के कार्यालय में भी रखी जायेगी।

(ii) निरीक्षण अधिकारी, निरीक्षण के दौरान यह सुनिश्चित करेगा कि अधिनियम तथा तत्सम्मत नियमों और प्राधिकार पत्र की शर्तों का अनुपालन, प्रदूषण जांच केन्द्र द्वारा किया जा रहा है।

9- अपील की प्रक्रिया-

(i) इस योजना के तहत प्राधिकृत प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, इस तरह के आदेश की प्राप्ति के तीस दिनों की अवधि के अन्दर प्राधिकृत अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है।

(ii) अपील एक ज्ञापन के रूप में दो प्रतियों में होगी, जिसमें प्राधिकृत अधिकारी के आदेश के विरुद्ध आपत्तियों के आधार दिये जायेंगे और उसके साथ वह आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, की मूल प्रति या प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी। अपील हेतु रु0-500/- फीस देय होगी।

(iii) अपीलीय अधिकारी अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात और ऐसी जांच जो वह उचित समझे, को किये जाने के पश्चात् अपील की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर उचित आदेश पारित करेगा। अपीलीय अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

10- प्रदूषण जांच कार्य के लिये अधिकृत व्यक्ति-

(i) गैस एनॉलाइजर या स्मोक मीटर से जांच का कार्य प्रदूषण जांच केन्द्र पर कार्यरत केवल ऐसे व्यक्ति द्वारा ही किया जायेगा, जो इस कार्य के लिये समुचित प्रशिक्षण प्राप्त हैं तथा प्रस्तर-3(ii)(अ) में निर्धारित योग्यता रखता है।

(ii) प्रदूषण जांच केन्द्र द्वारा जारी किये जाने वाले प्रत्येक प्रमाण पत्र पर अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर होंगे, जिसका उल्लेख आवेदन-पत्र में किया गया हो।

(iii) प्रदूषण जांच केन्द्र द्वारा अधिकृत व्यक्तियों की सूची में कोई परिवर्तन किये जाने की स्थिति में इसकी सूचना प्राधिकृत अधिकारी/जनपदीय परिवहन कार्यालय को अविलम्ब ई-मेल से दी जायेगी। प्राधिकृत अधिकारी को सूचित किये बिना किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रमाण पत्र जारी किये जाने पर वह वैध नहीं माना जायेगा। प्रत्येक प्रदूषण जांच केन्द्र अधिकृत व्यक्तियों की सूची प्राधिकृत अधिकारी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

को प्रेषित किये जाने का प्रमाण अपने पास उपलब्ध रखेगा।

(iv) प्रदूषण जांच केन्द्र द्वारा जारी किये जाने वाले सभी प्रमाण पत्रों की सभी प्रविष्टियां ऑनलाइन होंगी और कोई अधूरा प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जायेगा।

(v) प्रदूषण जांच केन्द्र, परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप से भिन्न प्रारूप पर कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं करेगा।

11- वाहनों के प्रदूषण जांच की प्रक्रिया-

(i) प्रदूषण जांच करने हेतु वाहन स्वामी को निर्धारित शुल्क का संदाय कर वाहन, प्रदूषण जांच हेतु प्रदूषण जॉच केन्द्र के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। जांच केन्द्र द्वारा गैसएनॉलाइजर या स्मोक मीटर से वाहन के प्रदूषण स्तर की जांच की जायेगी। यदि माप अधिकतम उत्सर्जन प्रदूषण स्तर (Prescribed emission norms) तक है, तो निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र, जो क्रम संख्यांकित होगा, जारी किया जायेगा जिसमें प्रदूषण स्तर की माप का उल्लेख भी होगा। प्रमाण पत्र पर जांच केन्द्र की कोड संख्या अंकित की जायेगी एवं प्राप्त जॉच शुल्क का उल्लेख भी किया जायेगा। प्रमाण पत्र की प्रति वाहन स्वामी को दे दी जायेगी।

(ii) यदि प्रदूषण का स्तर निर्धारित मानक सीमा से अधिक आता हो तो ऐसे वाहन की जांच की निर्धारित फीस ही वसूल की जायेगी तथा वाहन स्वामी को रिजेक्शन प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा। जांच की तारीख के अगले 07 दिवस में किसी भी प्रदूषण जांच केन्द्र पर वाहन का प्रदूषण जांच कराया जाना आवश्यक होगा, जिसका पूरा शुल्क देय होगा।

(iii) प्रदूषण जांच केन्द्र के परिसर में मोटर वाहनों की पार्किंग की समुचित व्यवस्था इस प्रकार की जायेगी कि परिसर के आस-पास सार्वजनिक मार्ग पर यातायात अवरुद्ध न हो तथा परिसर के अन्दर वाहनों के प्रदूषण सम्बन्धी जांच क्रमानुसार सुविधापूर्वक सम्पन्न हो सके। प्रदूषण सम्बन्धी जांच कार्य जांच केन्द्र के परिसर में ही किया जायेगा।

(iv) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राधिकार पत्र निरस्त अथवा निलम्बित करने पर प्रदूषण जांच केन्द्र द्वारा वाहनों की जॉचतत्काल बन्द कर दी जायेगी।

12- प्रमाण पत्र धारी वाहनों की पुनः जांच-

प्रथम दृष्ट्या अधिक धूम्र उत्सर्जन वाले 'प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र' धारी वाहनों की प्रदूषण सम्बन्धी पुनः जांच पुलिस विभाग एवं परिवहन विभाग के सक्षम अधिकारियों के निर्देश पर मौके पर की जा सकेगी। ऐसी पुनः जांच में वाहन का प्रदूषण स्तर यदि निर्धारित मानकों से अधिक पाया जाता है तो निरीक्षणकर्ता अधिकारी उक्त वाहन का प्रमाण पत्र निरस्त कर देगा तथा प्रमाण पत्र पर ही इसका तिथि सहित अंकन करेगा। प्रमाण पत्र में वाहन स्वामी को निर्देश भी अंकित किया जायेगा कि वाहन स्वामी अधिकतम 07 दिवस की समयावधि में वाहन का प्रदूषण स्तर सही कराकर पुनः वैध प्रमाण पत्र प्राप्त करें तथा प्रमाण पत्र निरीक्षण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें। यदि वाहन चालक/यान का स्वामी निर्धारित समयावधि (07 दिवस) में वैध प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो नियमावली के नियम-115(2) के प्राविधानों का उल्लंघन मानते हुए (Deemed violation) ऐसे वाहन पर निर्धारित शास्ति पंजीयन अधिकारी द्वारा आरोपित की जायेगी। इसके अतिरिक्त नियमावली के नियम-116 में दिये गये अन्य प्राविधान भी लागू होंगे।

13- प्रदूषण जांच उपकरणों का समुचित रख-रखाव-

(i) जांच केन्द्र द्वारा प्रदूषण जांच सम्बन्धी उपकरण सही स्थिति में रखे जायेंगे। यदि किसी समय गैस एनॉलाइजर/स्मोक मीटर आदि उपकरण नियमों की अपेक्षाओं के अनुरूप न हो तो वाहनों के प्रदूषण जांच का कार्य रोक दिया जायेगा एवं वाहनों का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जायेगा।

(ii) प्रदूषण जांच उपकरण सही रूप से संचालित रहे, यह सुनिश्चित करने के लिये प्रदूषण जांच केन्द्र को गैस एनॉलाइजर/स्मोक मीटर के समुचित रख-रखाव/मरम्मत हेतु सम्बन्धित उपकरण निर्माता कम्पनी से विहित अन्तराल पर मशीनों का कैलिब्रेशन एवं विधिवत् अनुबन्ध (AMC)करना होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

14- प्राधिकार पत्र को स्वीकृत या नवीनीकरण करने की फीस तथा शास्ति की राशि का राजकोष में जमा कराना-

प्रदूषण जांच केन्द्र को स्वीकृत करने के लिये प्रस्तर-4(2) (viii) के अन्तर्गत जमा करायी गयी फीस अथवा नवीनीकरण के लिये प्रस्तर-5(ii) के अन्तर्गत जमा करायी गयी फीस अथवा प्रस्तर-7(ii) के अन्तर्गत वसूल की गयी शास्ति की राशि को लेखा शीर्षक ''0041-वाहनों पर कर, 101- मोटरयान कराधान अधिनियम के अधीन प्राप्तियाँ, 01-सकल प्राप्तियाँ'' में जमा की जायेगी तथा इस सम्बन्ध में एक निर्धारित प्रारूप (प्रारूप-3) में एक रजिस्टर पर विवरण प्रत्येक जनपदीय परिवहन कार्यालय में अभिलिखित किया जायेगा।

15- वाहन निर्माता के अधिकृत डीलर पर प्रदूषण जांच-

(i) विनिर्माता द्वारा अधिकृत वाहन डीलर्स, जिनके यहां अधिकृत वर्कशॉप उपलब्ध है, को प्रदूषण जांच केन्द्र का प्राधिकार पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

(ii) वाहन निर्माता के अधिकृत वाहन डीलर्स, जिनके पास वाहन निर्माता का अधिकृत वर्कशॉप उपलब्ध है, को सर्विस हेतु आने वाले प्रत्येक वाहन की प्रदूषण जांच करना अनिवार्य होगा। प्रदूषण जांच में उपयुक्त पाये जाने की स्थिति में प्रदूषण प्रमाण पत्र, जारी किया जायेगा। पूर्व में वैध प्रदूषण जांच प्रमाण होने की स्थिति में केवल प्रदूषण जांच ही की जायेगी परन्तु इस जांच में उपयुक्त नहीं पाये जाने की स्थिति में वाहन का उपयुक्त रख-रखाव कर नवीन प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा। इसमें वाहन रिपेयर पर होने वाला खर्चा वाहन स्वामी द्वारा सम्बन्धित सर्विस सेन्टर को देना होगा।

(iii) पेट्रोल वाहनों के अधिकृत वाहन डीलर के लिये पेट्रोल वाहनों की जांच हेतु प्रदूषण जांच केन्द्र का प्राधिकार पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा तथा डीजल वाहनों के लिये डीजल वाहन की जांच का प्राधिकार पत्र लिया जाना अनिवार्य होगा। ऐसे वाहन डीलर, जहां पेट्रोल एवं डीजल दोनो प्रकार के वाहनों हेतु वाहन निर्माता का अधिकृत वर्कशॉप है, को पेट्रोल एवं डीजल दोनो प्रकार के वाहनों हेतु प्रदूषण जांच केन्द्र का प्राधिकार प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

16- निर्देशों का पालन-

परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश इस योजना के सुचारु रूप से संचालित करने की दृष्टि से प्राधिकृत प्रदूषण जांच केन्द्रों को समय-समय पर आवश्यक निर्देश दे सकेंगे और ऐसे प्रसारित निर्देशों का पालन प्रदूषण जांच केन्द्र के लिये बाध्यकारी होगा।

17- अनुदेश तथा निर्देश जारी करने की परिवहन आयुक्त की शक्ति- परिवहन आयुक्त निम्न बिन्दुओं के सम्बन्ध में अनुदेश तथा निर्देश जारी कर सकेंगेः-

(i) इस योजना के उपबंधों में से किसी का स्पष्टीकरण करने के लिये,

(ii) इस योजना के ऐसे उपबन्धों के क्रियान्वयन, जिनसे कोई कठिनाई उत्पन्न हो, को दूर करने के लिये,

(iii) प्रदूषण जांच केन्द्र को लोकहित में प्राधिकृत करने के सम्बन्ध में जिसके लिये इस योजना में कोई उपबन्ध नहीं है या अपर्याप्त है।

18- शिकायत/सुझाव-

प्रदूषण जांच व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से प्रदूषण जांच केन्द्र में शिकायत दर्ज कराये जाने हेतु शिकायत पंजिका की व्यवस्था की जायेगी। प्राप्त शिकायतों की जांच संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) या उससे वरिष्ठ अधिकारी से करायी जायेगी और शिकायत सही पाये जाने की दशा में प्रदूषण जांच केन्द्र स्वामी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

19- शर्तें-

(i) प्रदूषण जांच केन्द्र को मोटरयान अधिनियम, 1988, इसके अधीन बने नियमों तथा परिवहन विभाग द्वारा जारी उत्तर प्रदेश मोटरयान प्रदूषण जांच केन्द्र योजना-2020 का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करना होगा।

(ii) प्रदूषण जांच केन्द्र को प्राप्त प्राधिकार पत्र वाहन स्वामियों अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून अथवा विभाग द्वारा जारी उत्तर प्रदेश मोटरयान प्रदूषण जांच केन्द्र योजना-2020 के अधीन केन्द्र के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

परिसर की जांच करने के लिये अधिकृत जांच/निरीक्षण अधिकारी द्वारा मांग किये जाने पर उपलब्ध कराया जाना होगा।

(iii) प्रदूषण जांच केन्द्र द्वारा केवल वही गैस एनॉलाइजर/स्मोक मीटर प्रदूषण जांच में प्रयुक्त किये जायेंगे जो नियमावली, 1989 के नियम-126 के अन्तर्गत अधिकृत संस्था से अनुमोदित हो।

(iv) परिवहन विभाग द्वारा निर्देशित किये जाने पर प्राधिकृत जांच केन्द्र को अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्राप्त कराना होगा।

(v) गैस एनॉलाइजर/स्मोक मीटर से जांच का कार्य केवल एतद्विषयक प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारी द्वारा ही किया जायेगा और प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर केवल अधिकृत व्यक्ति द्वारा किये जायेंगे।

(vi) यदि प्रमाण पत्र जारी करने के लिये व्यक्ति द्वारा प्रदूषण जांच केन्द्र की सेवा से त्याग पत्र दे दिया जाता है अथवा प्रदूषण जांच केन्द्र अधिकृत व्यक्ति में परिवर्तन करता है तो तत्काल ही सम्बन्धित प्राधिकृत अधिकारी/जनपदीय परिवहन कार्यालय को सूचना दे दी जायेगी।

(vii) प्राधिकृत जांच केन्द्र द्वारा प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व सभी अपेक्षित प्रविष्टियों को पूर्ण किया जायेगा और कोई अधूरा प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जायेगा।

(viii) प्राधिकृत जांच केन्द्र द्वारा केवल ऐसे वाहनों को जांच के उपरान्त प्रमाण पत्र जारी किये जा सकेंगे जो केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-115 के प्रावधानों के अनुरूप हो, ऐसे किसी भी वाहन को जो नियम-115 के उपबन्धों के अनुरूप न हो, प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जायेगा।

(ix) प्राधिकृत जांच केन्द्र द्वारा वाहन स्वामी से प्रमाण पत्र जारी करने के लिये राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित फीस की राशि ही वसूल की जायेगी। प्राप्त की जाने वाली फीस की राशि प्रमाण पत्र पर अंकित की जायेगी।

(x) प्राधिकृत जांच केन्द्र के द्वारा परिसर के निरीक्षण के लिये प्राधिकृत अधिकारियों को निरीक्षण हेतु आवश्यक अभिलेख एवं सहयोग दिया जायेगा।

(xi) यदि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राधिकार पत्र निरस्त/निलम्बित कर दिया जाता है तो वाहनों को प्रमाण पत्र जारी करने का कार्य तत्काल बन्द कर दिया जायेगा।

(xii) सचल प्रदूषण जांच केन्द्र के वाहन पर जी0पी0एस0 लगाया जाना अनिवार्य होगा। यह जी0पी0एस0 परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लगवाया जायेगा। इन वाहनों की मॉनीटरिंग विभाग द्वारा भी जी0पी0एस0 के माध्यम से की जा सकेगी।

(xiii) सचल प्रदूषण जॉच केन्द्र किसी भी अधिकृत प्रदूषण जांच केन्द्र के नजदीक 500 मीटर की परिधि में प्रदूषण जॉच का कार्य नहीं कर सकेंगे।

(xiv) जांच केन्द्र पर कार्यरत अधिकृत व्यक्ति के पहचान पत्र की प्रति सम्बन्धित कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी, जो जांच केन्द्र के निरीक्षण के समय प्रस्तुत करनी होगी।

(xv) सचल प्रदूषण जांच केन्द्र हेतु बन्द बॉडी (closed body) का चौपहिया वाहन (न्यूनतम) आवश्यक होगा।

(xvi) ऐसे वाहन स्वामी, जिनका फोन नम्बर वाहन पोर्टल पर अपडेट नहीं है, जनपदीय परिवहन कार्यालय से अपना फोन नम्बर वाहन पोर्टल पर अपडेट करायेंगे।

20- वर्तमान में संचालित प्रदूषण जांच केन्द्रों के मान्यता की अनुमन्यता-

इस योजना के लागू होने की तिथि तक संचालित प्रदूषण जांच केन्द्रों को वर्तमान योजना के अनुसार अधिकतम् 03 माह के अन्तर्गत केन्द्र को उच्चीकृत कराने/ऑनलाइन किये जाने की समस्त शर्तों को पूरा करना होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रारूप-1

प्रदूषण जॉच केन्द्र की मान्यता/नवीनीकरण/स्थान-परिवर्तन हेतु आवेदन-पत्र

1. आवेदक/एजेन्सी का नाम व पता- .....
2. एजेन्सी के स्वामी का नाम .....
3. कार्यस्थल का पता- .....
4. आवेदन की स्थितिः-

कोई व्यक्ति अथवा निम्न श्रेणी में से कोई एक (प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करें):-

(i) एन0जी0ओ0/ट्रस्ट/सभी प्रकार के फर्म/कम्पनी (प्राईवेट लिमिटेड/पब्लिक लिमिटेड/ पार्टनरशिप/प्रोपराइटरशिप)।	
(ii) परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त गैराज है।	
(iii) उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का वर्कशाप है।	
(iv) परिवहन विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त सचल प्रदूषण जांच केन्द्र है?	

5. आवेदक के पास उपलब्ध मेक और पूर्ण विशिष्टताओं सहित गैस एनालाईजर/स्मोक मीटर (ARAI approved) का विवरणः-

- **आरपीएम मीटर सहित गैस एनालाइजर**

  निर्माता कम्पनी का नाम- .....
  मॉडल का नाम- .....
  सीरियल/चेसिस संख्या- .....
  संयंत्र क्रय करने की तिथि/वाउचर संख्या .....
  सीओपी वैधता- .....
  टॉइप एप्रूवल वैधता- .....

- **आरपीएम मीटर सहित स्मोक मीटर**

  निर्माता कम्पनी का नाम- .....
  मॉडल का नाम- .....
  सीरियल/चेसिस संख्या- .....
  संयंत्र क्रय करने की तिथि/वाउचर संख्या .....
  सीओपी वैधता- .....
  टॉइप एप्रूवल वैधता- .....

6. वेब कैम युक्त कम्प्यूटर मय प्रिन्टर सहित निम्न आवश्यकताएँ:-
   - Windows 7 Operating System/higher version; (उपलब्ध/अनुपलब्ध)
   - M.S. Office 7 or higher version; (उपलब्ध/अनुपलब्ध)
   - high speed internet connectivity (उपलब्ध/अनुपलब्ध)
7. वाहनों का वर्ग जिनकी जॉच हेतु प्राधिकार पत्र प्राप्त कसे का आवेदन किया जा रहा है-
   - डीजल चलित
   - पेट्रोल/सीएनजी/एलपीजी चलित
8. आवेदक के अधीन कार्यरत स्टॉफ का नाम, पहचान पत्र (आधार/वोटर कार्ड) एवं शैक्षिक योग्यता (प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
9. क्या जॉच हेतु वाहन खड़े करने के लिये पर्याप्त स्थान उपलब्ध है? (उपलब्ध/अनुपलब्ध)
10. क्या गैस एनॉलाइजर/स्मोक मीटर को चलाने वाला स्टॉफ प्रशिक्षित है? (प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
11. भूमि के स्वामित्व अथवा किराये पर लिये जाने के सम्बन्ध में भूमि/भवन का दस्तावेजी प्रमाण (प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
12. नवीनीकरण/स्थान परिवर्तन की दशा में पूर्व में जारी प्राधिकार पत्र की प्रति।
13. क्या शिकायत पंजिका उपलब्ध है? (उपलब्ध/अनुपलब्ध)

मैं ..... घोषित करता हूँ/करते हैं कि मेरे द्वारा उपरोक्त आवेदन पत्र में दी गयी समस्त सूचनाएँ सर्वथा सत्य हैं। प्रत्येक तथ्य की पुष्टि हेतु प्रमाणित प्रतियाँ संलग्न की गयी हैं। मेरे/हमारे द्वारा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है और मैने/हमनें प्रदूषण जॉच केन्द्र की मान्यता प्राप्त करने हेतु निर्धारित मापदण्ड/ शर्तें/कार्यप्रणाली का भली-भाँति अध्ययन कर लिया है। मुझे सभी शर्तें स्वेच्छा से स्वीकार व मान्य हैं तथा परिवहन आयुक्त द्वारा दिये गये आदेशों/निर्देशों का सदा पालन करूंगा/करेंगे।
(जो लागू न हो उसे काट दें)

(आवेदक का हस्ताक्षर)
स्वामी/स्वामीगण का नाम-.....
दिनांक व स्थान .....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रारूप-2

TRANSPORT COMMISSIONER OFFICE,
UTTAR PRADESH.

AUTHORIZATION TO ISSUE PUC CERTIFICATE (PETROL, L.P.G., C.N.G./DIESEL DRIVEN VEHICLE)
(RULE 115 of C.M.V.RULES 1989)

Application no…….. Certificate no……..…
Mr./M/s-…….…….. is hereby authorized to conduct smoke Emission Test of PETROL, L.P.G., C.N.G./DIESEL Driven Vehicle at ……. and provide the online generated test certificate to the vehicle owner. This authorization shall be valid from……. to ……or till the validity of registration (in case of society) or any early date to be intimated by the department.

Authorized Officer
Transport Department
Uttar Pradesh

प्रारूप-3

प्राधिकार-पत्र धारक से वसूल की गयी फीस के विवरण हेतु प्राधिकर्ताअधिकारी के कार्यालय में अनुरक्षित किये जाने वाला रजिस्टर

क्रम संख्या	प्राधिकर्ता केन्द्र के स्वामी का नाम	प्राधिकर्ता केन्द्र की कोड संख्या	प्राधिकार पत्र जारी करने का दिनांक	प्राधिकार पत्र की वैधता का अन्तिम दिनांक	फीस का विवरण यथा स्वीकृति, नवीनीकरण अपील इत्यादि	प्राधिकार पत्र धारक से वसूली गई धनराशि	शुल्क का विवरण, जिसके द्वारा धनराशि बैंक/ ट्रेजरी में जमा किया गया
1	2	3	4	5	6	7	8

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रारूप-4

प्रदूषण जाच केन्द्र की निरीक्षण आख्या

1	निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम व पदनाम-	
2	निरीक्षण का दिनांक-	
3	क्रय किये गये आवश्यक गैस एनालाईजर एवं स्मोक मीटर तथा कम्प्यूटर सही तरह से कार्यरत हैं।	
4	प्रदूषण जॉच केन्द्र के स्वामी द्वारा वार्षिक अनुरक्षण अनुबन्ध करा लिया गया है।	
5	केन्द्र आवेदन में दिये गये कार्यस्थल पर ही स्थापित है।	
6	प्रदूषण जॉच हेतु ली जाने वाली फीस उपयुक्त स्थान पर बड़े अक्षरों में समुचित रूप से प्रदर्शित की गयी है।	
7	नियमों की अपेक्षानुसार स्टाफ को तैनात किया गया है।	
8	आवेदन की स्थितिः-	
	कोई व्यक्ति अथवा निम्नलिखित में से कोई एकः-	
	(i) एन0जी0ओ0/ट्रस्ट/सभी प्रकार के फर्म/कम्पनी (प्राईवेट लिमिटेड/पब्लिक लिमिटेड/पार्टनरशिप/ प्रोपराइटरशिप)।	
	(ii) परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त गैराज।	
	(iii) उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के वर्कशॉप।	
	(iv) परिवहन विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त सचल प्रदूषण जांच केन्द्र।	

9 भूमि के स्वामित्व अथवा किराये पर लिये जाने के सम्बन्ध में भूमि का दस्तावेजी प्रमाण। (है/नहीं)

10 आवेदक के पास उपलब्ध मेक और पूर्ण विशिष्टताओं सहित गैस एनालाईजर/ स्मोक (ARAI approved) का विवरणः-

- **आरपीएम मीटर सहित गैस एनालाइजर**
  निर्माता कम्पनी का नाम- .....
  मॉडल का नाम- .....
  सीरियल/चेसिस संख्या- .....
  संयंत्र क्रय करने की .....
  तिथि/वाउचर संख्या
  सीओपी वैधता- .....
  टॉइप एप्रूवल वैधता- .....
- **आरपीएम मीटर सहित स्मोक मीटर**
  निर्माता कम्पनी का नाम- .....
  मॉडल का नाम- .....
  सीरियल/चेसिस संख्या- .....
  संयंत्र क्रय करने की .....
  तिथि/वाउचर संख्या
  सीओपी वैधता- .....
  टॉइप एप्रूवल वैधता- .....

11. वेब कैम युक्त कम्प्यूटर मय प्रिन्टर सहित निम्न आवश्यकताएँ :-

- Windows 7 Operating System/higher version; (उपलब्ध/अनुपलब्ध)
- M.S. Office 7 or higher version; (उपलब्ध/अनुपलब्ध)
- high speed internet connectivity (उपलब्ध/अनुपलब्ध)

12 वाहनों का वर्ग जिनकी जॉच हेतु प्राधिकार पत्र प्राप्त करने का आवेदन किया जा रहा है

- डीजल चलित
- पेट्रोल/सीएनजी/एलपीजी चलित

13 नवीनीकरण/स्थान परिवर्तन की दशा में पूर्व में जारी प्राधिकार पत्र की प्रति।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(उपलब्ध/अनुपलब्ध)

14 निरीक्षण के समय उपस्थित कर्मचारियों का नाम-

15 शिकायत पंजिका उपलब्ध है? (हाँ/नहीं)

16 अन्य कोई बिन्दु-

प्रदूषण जॉच केन्द्र (पेट्रोल/डीजल) में आवश्यक समस्त औपचारिकतायें पूर्ण हैं। अतः प्रदूषण जाँच केन्द्र (पेट्रोल/डीजल) की मान्यता दिये जाने की संस्तुति की जाती है।

संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक)
का हस्ताक्षर, नाम व पदनाम
(मुहर के साथ)
दिनांक .....

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) का
हस्ताक्षर, नाम व पदनाम
(मुहर के साथ)
दिनांक .....

राजेश कुमार सिंह
प्रमुख सचिव

संख्याः14/2020/822(1)/तीस-4-2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. समस्त अपर परिवहन आयुक्त/उप परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश। (द्वारा परिवहन आयुक्त)
3. समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी/ सम्भागीय निरीक्षक, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश। (द्वारा परिवहन आयुक्त)
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।